दिनांक–28.03.2025 को संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में रीगा चीनी मिल के विरूद्ध गन्ना कृषकों का पूर्ववर्ती वर्षो का बकाये ईख मूल्य भुगतान करने हेतु विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग (V.C.) के माध्यम से आहूत समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

समय :– **04:00 बजे अपराह्न।**

उपस्थिति :– मुख्य महाप्रबंधक, मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी, रीगा, सीतामढ़ी, ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर, ऑनलाइन के माध्यम से तथा प्रशाखा पदाधिकारी (रेगुलेटरी), गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना भौतिक रूप से उपस्थित थें।

बैठक की कार्यवाही संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना की अध्यक्षता में प्रारम्भ हुई।

बैठक में संयुक्त ईखायुक्त द्वारा रीगा चीनी मिल प्रबंधक को कहा गया कि आपके चीनी मिल में उपलब्ध पेराई सत्र 2016–17, 2017–18, 2018–19 एवं 2019–20 में बकाया गन्ना कृषकों के ईख मूल्य के डाटा को ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उपलब्ध करा दिया जाय एवं एक प्रति विभाग में भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस क्रम में रीगा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा आश्वस्त किया गया कि दिनांक–03.04.2025 तक गन्ना कृषकों का डाटा उपलब्ध करा दिया जायेगा।

ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर एवं चीनी मिल प्रबंधन को यह भी निदेश दिया गया कि किसानों की सूची को भौतिक रूप से जाँच कर लें। मिल प्रबंधन एवं ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा यह सुझाव दिया गया कि सभी कृषकों का जिनका भी ईख मूल्य बकाया है, उनका आधार कार्ड एवं ईख मूल्य पर्ची की छायाप्रति भी अवश्य प्राप्त कर कार्यालय में संधारित किया जाय। इसके लिए समाचार पत्रों में भी प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की जाय। कृषक अपना आधार कार्ड चीनी मिल के ईख कार्यालय में जमा करेंगे तथा चीनी मिल प्रबंधन उसे ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को हस्तगत करा देंगे। ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर कार्यालय में RP द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची, चीनी मिल प्रबन्धन से वर्तमान में प्राप्त करायी गयी सूची एवं आधार कार्ड से मिलान कर आवश्यक जाँच कर लेंगे। उक्त सूची में यदि किसी कृषक की मृत्यु हो गयी है तो वैसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र, वंशावली, उत्तराधिकारी का शपथ पत्र तथा अन्य सदस्यों का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

बैठक में उपस्थित चीनी मिल प्रबंधक द्वारा बताया गया कि संधारित सूची में 40 प्रतिशत ऐसे किसान है जिनका बैंक खाता के॰सी॰सी॰ लोन का है जिसे बैंक द्वारा फ्रीज कर दिया गया है। वैसे किसान को भुगतान करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

संयुक्त ईखायुक्त द्वारा चीनी मिल प्रबंधक को कहा गया कि आप यह स्पष्ट करें कि कितने कृषकों के बैंक खाता को फ्रीज किया गया है, जिनके कारण उनका भुगतान नहीं हो सकेगा। इसकी एक सूची तैयार का पत्र के माध्यम से विभाग को प्रेषित करें ताकि इस समस्या के समाधान हेतु ईखायुक्त, गन्ना उद्योग विभाग से परामर्श लिया जा सके।

कृ॰ पृ॰ उ॰

बैठक में रीगा चीनी मिल प्रबंधन द्वारा सुझाव दिया गया कि गन्ना कृषकों के बकाये ईख मूल्य का भुगतान ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के माध्यम से करना श्रेष्यकर होगा। ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि जिस प्रकार वर्तमान में 10 रू०/क्विंटल की दर से कृषकों को अतिरिक्त ईख मूल्य का भुगतान किया जा रहा है उसी प्रक्रिया को अपनाने पर गन्ना कृषकों को शीघ्र बकाय ईख मूल्य का भुगतान प्राप्त हो सकेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

ह०/–

संयुक्त ईखायुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/रेगु०–03–900–16/2021– /पटना, दिनांक– मार्च, 2025

प्रतिलिपि–सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फरपुर/ईख पदाधिकारी, मुफ्फरपुर/महाप्रबंधक, मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

संयुक्त ईखायुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/रेगु०–03–900–16/2021– /पटना, दिनांक– मार्च, 2025

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग के आप्त सचिव/सचिव, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/ईखायुक्त, बिहार के निजी सहायक को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–

संयुक्त ईखायुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–01/रेगु०–03–900–16/2021-486/ई० का० /पटना, दिनांक– 28 मार्च, 2025

प्रतिलिपि–आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

28-03-2025

संयुक्त ईखायुक्त,
बिहार, पटना।